



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छ०ग०/कांकेर/लौ०अ०-०६/रायपुर

30 छ०ग० 08007

दिनांक :- 25/03/2021

प्रति,

श्री श्रवण कुमार गोयल, निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर,
सर्वश्री बजरंग पॉवर एवं इस्पात लिमिटेड,
ग्राम:- बोरझरा, उरला-गुमा रोड,
उरला ग्रोथ सेंटर, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 493 221
फोन: 0771-4288019/29/39,
ई मेल:- mining@goelgroup.co.in

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी हहालव्दी लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 75.00 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 09/03/2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री डी० के० महंत, ऐजेंट (खान) की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 45(7)	Annual return for F.Y. 2019-20: Annual Return for the Financial Year 2019-20 has been scrutinized Part – VI; (Production, Dispatches and Stock) and Part – VII; Cost of Production: (1) Cost of Production and the Ex-Mine Price of the graded ore are not matching. Moreover, Ex-Mine Price of the mineral/ore should not be less than the Cost of Production of mineral/ore. (2) During F.Y. 2019-20, total 06 nos. of core boreholes have been drilled. Hence, cost of expenditure incurred for the exploration should be considered and included for computation of Cost of Production of Mineral/Ore Per Metric Tonne.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम संख्या 45(7) के अंतर्गत :-

- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001

क०प०...2...

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492002

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर